पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा

सत्यमेव जयते

समयबद्ध /सूचना का अधिकार मामला

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

संख्याः सी/551/5/2015-जेपी

दिनांक 28 जनवरी, 2015

श्री रमेशचंद्र जोशी
श्री विष्णुधाम मंदिर
ठाकुर कॉम्पलेक्स, साईंधाम रोड
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली ईस्ट, मुम्बई-400101

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के अंतर्गत मांगी गई जानकारी ।

महोदय,

कृपया दिनांक 02 जनवरी 2015 के आपके आर.टी.आई. आवेदन पंजीकरण संख्या 128/2014 के संबंध में ।

2. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वार्षिक शिखर सम्मेलन बैठक के लिए दिनांक 30 अगस्त से 03 सितम्बर 2014 तक जापान का दौरा किया था। "भारत जापान विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी पर टोकियो की घोषणा" पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रधानमंत्री शिन्जो अबे ने हस्ताक्षर किए थे ।

प्रधानमंत्री अबे ने पांच वर्षों में भारत को आधिकारिक विकास सहयोग (ओडीए) सहित जापान से 3.5 ट्रिलियन येन के सार्वजनिक और वैयक्तिक निवेश तथा वित्तीय सहायता, संरचना, संपर्कता, यातायात प्रणाली, स्मार्ट सिटी, गंगा तथा अन्य नदियों का कायाकल्प, उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा, क्षमता निर्माण, जल सुरक्षा, खाद्य संसाधन, कृषि उद्योग, कृषि कोल्ड चेन तथा ग्रीमीण विकास के क्षेत्रों सहित आपसी लाभ वाली उपयुक्त सार्वजनिक तथा वैयक्तिक परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के अपने इरादे जाहिर किए।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने उत्तरपूर्वी भारत में संपर्कता और विकास में बढ़ौत्तरी तथा उसका भारत में अन्य आर्थिक गलियारों और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ाव के लिए जापान के सहयोग पर विशेष बल दिया जो इस क्षेत्र में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ाने में प्रेरक रहेगा।

जारी किए गए तथ्यपत्र: 'भारत और जापान साझा विकास हेतु साझेदारी' में क्षेत्रीय संपर्कता और सहयोग पर बल दिया गया।

दोनों पक्षों ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेन्सी (जेआईसीए) द्वारा पूर्वोत्तर भारत और पड़ौसी देशों के बीच क्षेत्रीय संपर्क पर किए गए अध्ययन का स्वागत किया और क्षेत्र में परिवहन अधोसंरचना परियोजनाओं में जापान को ओडीए प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए संबंधित

प्राधिकारियों को निर्देश दिए। दोनों पक्षों ने भारत और पड़ौसी देशों के बीच अधोसंरचनात्मक विकास सहयोग बढ़ाने तथा सीमा पार व्यापार गतिविधियों की वृद्धि के लिए भारत के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इन्डिया तथा जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का भी स्वागत किया।

दोनों पक्षों ने उत्तरपूर्व भारत में संपर्कता और सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने का निर्णय लिया। जापनी पक्ष ने भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों में रोड संपर्क परियोजनाओं सहित संभावित सहयोग से परिचित कराने के लिए जेआईसीए द्वारा सर्वे की घोषणा की। भारतीय पक्ष ने जापान द्वारा उत्तरपूर्व भारत को दिए जा रहे सहयोग की प्रशंसा की जिसमें वन संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में कई परियोजनाएं साथ ही साथ वह जो फिलहाल जेआईसीए द्वारा साध्यता अध्ययन के अंतर्गत है जैसे इम्फाल, मनिपुर में जल आपूर्ति में सुधार हेतु संभाव्य येन लोन परियोजना शामिल है।

3. यदि आप इस जवाब से संतुष्ठ नहीं हैं, तो श्री शिल्पक अंबुले, निदेशक (ईए) तथा अपीलीय प्राधिकारी, कमरा संख्या 183-बी, साउथ ब्लॉक, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को इस पत्र की प्राप्ति के एख महीने के भीतर अपील कर सकते हैं।

भवदीय

बय्यापु संदीप कुमार

(बय्यापु संदीप कुमार)
अवर सचिव (ईए)/सीपीआईओ

प्रतिलिपि:

श्रीमती मीरा सिसोदिया, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।